हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27-10-25 पत्रावली पेश हुई निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया निर्णय प्रति पृथक से तहसीलदार अलवर को भिजवाई हेतु पत्रावली नम्बर से कम हो बाद तामील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे। [signature] उपखण्ड अधिकारी अलवर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर जिला अलवर
पीठासीन अधिकारी – श्री माधव भारद्वाज (आई.ए.एस.)

दावा संख्या	किस्म	तारीख दायर	तारीख निर्णय
6/15	251–A	17.03.2023	२७-१०.2025

उनवान

[illegible] मोहन लाल पुत्र जतन जाति जाट निवासी ग्राम भजीट
[illegible] रामसिंह पुत्र स्योदयाल जाति जाट निवासी ग्राम भजीट तहसील व जिला अलवर

प्रार्थीगण

बनाम

[illegible] बलराम पुत्र ओमकार जाति जाट निवासी ग्राम भजीट
[illegible] धनकरण पुत्र ओमकार जाति जाट निवासी ग्राम भजीट
[illegible] पुत्र ओमकार जाति जाट निवासी ग्राम भजीट
[illegible] शिवरतन पुत्र ओमकार जाति जाट निवासी ग्राम भजीट तहसील व जिला अलवर

अप्रार्थीगण

<u>दावा अन्तर्गत धारा 251–ए राज.काश्त.अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u>

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के अधीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी–1 संख्या की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 335 रकबा 0.53, 336 रकबा 0.22, 323 रकबा 0.60 व 322 रकबा 0.02 ग्राम भजीट तहसील अलवर में स्थित है जिस पर वादी संख्या का कब्जा बतौर खातेदार के चला आ रहा है उपरोक्त आराजी में से खसरा नम्बर 322 गैर मुमकिन चाहा है इसी प्रकार वादी संख्या 1 की खातेदारी की उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 336 से लगती हुई तरफ पश्चिम वादी संख्या 2 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 340 रकबा 0.27 वाके ग्राम भजीट तहसील अलवर में स्थित है जिस पर वादी संख्या 2 का कब्जा बतौर खातेदार के चला आ रहा है।

प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 336 से लगती हुई तरफ उत्तर को अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 337 रकबा 1.06 हेक्टर वाके ग्राम भजीट तहसील अलवर में स्थित है, जो उनको अपने पिता श्री ओमकार से विरासत में मिली है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का समान भाग व समान हिस्सा यानि 1/4–1/4 हिस्सा है जिस पर उनका कब्जा बतौर खातेदार के चला आ रहा है।

प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजी पर आने–जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है जिस कारण प्रार्थी संख्या 1 अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 336 से तरफ उत्तर को अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 337 में से तरफ पूर्व को रास्ता 12 फुट चौडा से होता हुआ तरफ उत्तर को सडक सरकारी मदनपुरी से भजीट को जाने वाली पर अप्रार्थीगण के पिता श्री ओमकार के जीवन काल से ही बिना किसी रोकटोक के आता–जाता रहा है एवं इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 2 अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 340 पर खसरा नम्बर 336 में से होता हुआ अप्रार्थीगण की खातेदारी की उपरोक्त खसरा नम्बर 337 के तरफ पूर्व रास्ता 12 फुट चौडा से उक्त श्री ओमकार के जीवन काल से ही आता जाता रहा है यानि प्रार्थीगण की खसरा नम्बर 336 व 340 पर आने–जाने के लिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 337 के तरफ पूर्व रास्ता 12 फुट चौडा से स्व० श्री ओमकार के जीवन काल से ही यानि जायद अज बीस साल से अधिक समय से बतौर रास्ते के बिना किसी रोकटोक के काम में लेते चले आ रहे हैं एवं ओमकार के स्वर्गवास होने के बाद भी प्रार्थीगण उपरोक्त रास्ते से ही अपनी खातेदारी की उपरोक्त खसरा नम्बर 336 व 340 पर आते–जाते रहे हैं। जो रास्ता संलग्न नक्शे में रंग सुर्ख से दर्ज किया गया है एवं प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी की आराजी पर आने–जाने के लिए व कृषि यंत्र लाने–ले जाने के लिए

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

कृषि पैदावार ट्रेक्टर ट्रोली आदि को जरिये लाने–ले जाने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण के पास विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 जो कि आपस में एक ही परिवार के सदस्य हैं एवं खास भाई हैं, ने प्रार्थीगण के खिलाफ एक नाजायज गिरोह बनाया हुआ है, जो गत कुछ समय से प्रार्थीगण को विवादित रास्ते से आने–जाने में बिना किसी हक व अधिकार के रूकावट पैदा करते हैं और उन्होंने हाल ही में दिनांक 10–03–2023 को यह धमकी दी कि अब वो प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 337 में से तरफ पूर्व को रास्ते से होकर आने–जाने नहीं देंगे एवं अप्रार्थीगण ने इसी नियत से अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 337 की उत्तरी मेड पर दीवार बनाने की नियत से खुदाई कराने का कार्य भी दिनांक 14–03–2023 से शुरू कर दिया है एवं अप्रार्थीगण महज प्रार्थीगण को नुकसान पहुचाने की नियत से व उनकी खातेदारी की आराजी में से होते हुए रास्ते आम में नहीं आने देने की नियत से तरफ उत्तरी मेड पर दीवार बनाकर रास्ता बन्द करना चाहते हैं। कानूनन अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है और यदि अप्रार्थीगण ने ऐसा कर दिया तो प्रार्थीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी एवं प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की उपरोक्त आराजी पर नहीं आ जा सकेंगे। जिससे उनके समस्त पैदावार खराब व बरबाद हो जावेगी। जिस कारण प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 337 में से तरफ पूर्व 12 फुट रास्ता सरासर प्राप्त करने के अधिकारी हैं जिसके एवज में प्रार्थीगण डीएलसी की दर से अप्रार्थीगण को मुआवजा राशि भी अदा करने को तैयार हैं।

अप्रार्थीगण ने दिनांक 14–03–2023 को प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार रास्ता तरफ पूर्व 12 फुट चौडा सरासर देने से कतई तौर पर इन्कार कर दिया, जिस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के लिए विनायदावी व बिनाय मुखासमत दिनांक 10–03–2023 व दिनांक 14–03–2023 को पैदा होती है, जिससे प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश है।

अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के हक में निम्नलिखित अनुतोष सादिर फरमाया जावेः–अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 337 वाके ग्राम भजीट में से तरफ पूर्व को रास्ता 12 फुट चौडा कागजात माल में दर्ज किया जावे एवं अप्रार्थीगण को पाबंद फरमाया जावे कि वो उक्त विवादित रास्ता 12 फुट चौडा में से प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 336 व 340 वाके ग्राम भजीट तहसील अलवर में आने–जाने व कृषि यंत्र व कृषि पैदावार लाने ले जाने में किसी प्रकार की रूकावट व मजहामत पैदा ना करें और ना किसी प्रकार से उक्त रास्ते को बंद करें। प्रार्थीगण उपरोक्त रास्ते की भूमि की एवज में डीएलसी की दर से मुआवजा राशि अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण से दिलाये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो को जर्ये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीयान द्वारा जबाव पेश किया कि खसरा नबर 335, 336, 323, 322, वाके गाम भजीट तहसील व जिला अलवर राज में स्थित है जो जमाबन्दी गौरतलब श्रीमान है। जिमन नबर दो प्रार्थना पत्र में केवल इतना स्वीकार है कि खसरा नबर 336 व 340 वाके गाम भजीट तहसील व जिला अलवर मे स्थित है शेष तथ्य गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थी संख्या एक की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 336 में से 1/2 का हिस्सेदार है और वादी संख्या एक की स्वखसरा नम्बर 336 पश्चिम की तरफ लगती हुई वादी संख्या दो का खसरा नंबर 340 रकबा 0.27 हेक्टे में से 1/11 का बतौर हिस्सेदार है। जिमन नबर तीन में इतना स्वीकार है कि अप्रार्थीगण का खसरा नम्बर 337 वाके गाम भजीट तहसील व जिला अलवर में स्थित है जो कि उनको ओमकार की विरासत से प्राप्त हुआ है तथा अप्राथीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज है जो कि प्रार्थीगण स्वंय कहते है। अतः प्रार्थीगण कौनसे हिस्सेदार से रास्ता कायम करवाना चाहते है पूर्व वाला रास्ता कहा से है, उसके कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नही किये गये है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वतः ही खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का जिमन नबर चार जिस तरह से दर्ज किया गया है गलत है स्वीकार नही है। प्रार्थीगण का यह कहना है कि प्रार्थीगण की आराजी मे आने जाने के लिये कोई रास्ता नही है बल्कि सही तथ्य विशेष कथन में दर्ज किया जा रहा है। प्रार्थीगण का कहना है कि अप्रार्थीगण के पिताजी के समय से आते जाते रहे है कतई गलत है स्वीकार नही है। जबकि सही तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण कभी भी अप्रार्थीगण की आराजी में से कभी भी आते जाते नही थे क्योकि प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी में आने

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

ी के लिये मुताबिक सजरे के अपने अन्य खसरा नम्बरान मे से रास्ता उपलब्ध है। अतः प्रार्थीगण का
सरा नबर 337 से कभी भी कोई सरोकार नहीं रहा है इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।
प्रार्थना पत्र का जिमन नबर पांच मे इतना स्वीकार है कि अप्रार्थीगण आपस मे भाई भाई है शेष
मन गलत है स्वीकार नही है। जबकि सही तथ्य यह है कि प्रार्थीगण मुत्ताबिक सजरे के अप्रार्थीगण के
रुद्ध एक नाजायज गिरोह बनाये हुये है और अप्रार्थीगण को आये दिन एलानिया धमकीया देते रहते है
था कहते है कि हमारा परिवार बहुत बडा है जबकि प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी में आने जाने के
मये रास्ता उपलब्ध है मुताबिक सजरे के। फिर भी अप्रार्थीगण को मानसिक व आर्थिक रुप से तंग परेशान
करने के लिये श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण ने दिनांक 10/03/2023
गलत दर्ज की गई है जब अप्रार्थी के खसरा नबर 337 में से प्रार्थीगण कभी भी आते जाते नही रहे है तो
धमकी देने का सवाल ही पैदा नही होता है। प्रार्थीगण का यह कहना है कि अप्रार्थीगण ने दिनांक
14/03/2023 को दीवार बनाने का कार्य शुरू कर दिया गलत है क्योकि प्रार्थीगण ने वर्तमान में
निर्माणाधीन दीवार बनाने सम्बन्धी कोई भी साक्ष्य फोटो, विडियो इत्यादि प्रस्तुत नही की गई है। बल्कि सही
तथ्य यह है कि आवारा पशुओ से फसल की सुरक्षार्थ हेतु अप्रार्थीगण ने कई वर्षो पूर्व चार दिवारी कर रखी
है जो कि पुरानी है वर्तमान मे विवादित आराजी मे किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया
है। प्रार्थना पत्र का जिमन नबर 6 गलत है स्वीकार नहीं है। जब प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण के खसरा नबर
337 से कोई ताल्लुक व वास्ता ही नही रहा तो नापूर्ति या क्षतिपूति होने का कोई अन्देशा ही नहीं है।
प्रार्थीगण ने मनघडन्त कहानी बनाई है। जबकि अप्रार्थीगण की दीवार कई वर्षो पुरानी है इसलिये प्रार्थीगण
कोई रास्ता कायम कराने का अधिकारी नहीं है। क्योकि प्रार्थीगण के पास उक्त आराजीयो में आने जाने के
लिए रास्ता पूर्व से मुताबिक सजरे के उपलब्ध है। प्रार्थना पत्र का जिमन नबर 7 जिस तरह से दर्ज किया
गया है गलत है स्वीकार नहीं है, प्रार्थीगण ने मनघढन्त तारीख दर्ज की है सही बात यह है कि प्रार्थीगण
का उक्त आराजी से कोई संबंध नही रहा है और कभी भी आते जाते नही रहे है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण
को बेजा तौर पर परेशान करने के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।
अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाव के साथ निम्न अतिरिक्त कथन अंकित किये गये कि प्रार्थी संख्या एक का
मुताबिक सजरे के कुटुम्ब निम्नलिखित है जो कि जवाब प्रार्थना पत्र में अलग से प्रतिलिपी संलग्न है।

यह कि प्रार्थी स0 1 के सजरे इस प्रकार है कि उदाराम के जंगली, भवरलाल, रतीराम, श्रवण हुये
जंगली के धर्मपाल, देवजी झवरू, राजपाल, प्यारेलाल, रतनलाल हुये तथा भवरलाल के बद्री, जतन, जवाहर,
हुये तथा रतीराम के गुल्लाराम, खिलारी, हरिसिंह, सम्पतराम हुये एंव श्रवण के सोहनपाल हुये थे प्रार्थी
संख्या 2 का मुत्ताविक सजरे के कुटुम्ब निम्नलिखित है 1–डालू से सोहनपाल एंव सोहनपाल के भरतलाल,
सुआलाल, हरिराम है एंव डालू का अन्य भाई से रतीराम से श्योदयाल , श्योदयाल के चेतराम, रामचन्द्र,
शेरसिंह जो श्योदउयाल का पुत्र शेरसिंह वादी स0 2 है

वादी संख्या दो सजरे के मुत्ताविक डालु व एक अन्य भाई है। डालु का पुत्र सोहनपाल है,
सोहनपाल के तीन पुत्र भरतलाल, सुवालाल व हरिराम है डालु का अन्य भाई है जिसका नाम मालुम नहीं
है। उसका पुत्र रत्तीराम है, रत्तीराम का पुत्र श्योदयाल है, श्योदयाल के तीन पुत्र चेतराम, रामचन्द्र व शेर
सिंह वादी संख्या दो है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी संख्या एक के मुताबिक सजरे के अनुसार निम्नलिखित खसरा
बर पेश किये जा रहे है जो निम्न प्रकार है 332, 333, 334, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330,
31, 319, 335, 336, है प्रार्थी के कुटुम्ब के सदस्य के खसरा नम्बर आम रास्ते से लगते हुये है तथा प्रार्थी
ख्या एक अपने इन्ही नम्बरान मे से होकर आता जाता रहा है। अतः प्रार्थी संख्या एक की आराजी में आने
ाने हेतु दोनो ओर से रास्ते उपलब्ध है।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी संख्या दो के मुताबिक सजरे के अनुसार निम्नलिखित खसरा नंबरान पेश
ये जा रहे है जो कि निम्न प्रकार है 317, 318, 340, 341, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350,
1, 362, 357 ,360 है जो कि प्रार्थी संख्या दो स्वंय कुटुम्ब के सदस्यो के खसरा नम्बर आम रास्ते से
ाते हुये है जिनमे इसी रास्ते से प्रार्थी संख्या दो आता जाता रहता है। अतः प्रार्थी संख्या दो की आराजी
आने जाने हेतु दोनो ओर से रास्ते उपलब्ध है प्रार्थीगण ने अपनी जमीन की कीमत बढ़ाने के आशय से
ा तौर पर न्यायालय से रास्ता प्राप्त करना चाहता है। जबकि प्रार्थीगण का कभी भी उक्त आराजी से

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा है अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण मे प्रकरण मे तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट कमॉकः ाक:–राजस्व /2025/1219 दिनॉक 22–5–25 के अनुसार मुताबिक हाल ऑन लाईन जमाबंदी वाके भजीट में अन्य खसरा नंबरानो के साथ ख०न० 335/0.33 है0, 336/0.22. 322/0.02 323/080 है० जन लाल पुत्र जतन जाट हि० 1/2 जगदीश पुत्र जवाहर हि० 1/4 दयाराम पुत्र जवाहर हि0 1/4 ति जाट के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार ख0न0 337 बलराम, रामकरण, रामजस, शिवराम ० ओंकार जाति जाट के नाम अन्य खसरा नंबरानो के साथ बतौर खातेदार दर्ज रिकार्ड है सुलभ सन्दर्भ नकल जमाबंदी संलग्न है, कृपया अवलोकन फरमायें तथा वर्तमान में उक्त खसरा नंबरानों में से किसी प्रकार का रास्ता आवागमन हेतु मौके पर चालू नहीं है।

खसरा नंबर 337 मदनपुरी से भजीट जाने वाले मुख्य सडक की तरफ दक्षिण में स्थित है खसरा बर 337 के तरफ उत्तर सडक सरकारी को छोड कर अन्य तीन तरफ पक्की चार दिवारी लगभग 4–5 ीट उंची बनी हुई है वादीगण उक्त खसरा नंबर 337 के तरफ पूर्व में से लगभग 12 फीट चौडा रास्ता ाहता है जो वर्तमान में चालू नहीं है मौके पर आराजी ख० न० 335/0.33 है०, 336/0.22, 322/0.02, 323/0.80 है० में उत्तर दिशा को छोडकर बाकी दिशाओं से वादीगण को अपने खसरा नंबरान पर आवागमन में कोई अवरोध बाधा नहीं है खेत के तरफ दक्षिण में स्थित रास्ते से होकर प्रार्थी वर्तमान में आवागमन कर रहा है मौके पर वादीगण उपस्थित आये प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के मौके पर उपस्थित नहीं आये उक्त कार्यवाही करते समय मौके का नजरी नक्शा तैयार कर निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट तैयार की गई

वकुलाय की बहस सुनी गई बहस मे बकुलाय द्वारा अपने अपने जबाव के लिखित कथनो को ही दोहराया गया

आदेश

इस सन्र्दभ मे राजस्व (ग्रुप–6) विभाग परिपत्र प–3(52)राज–6/12/4 दिनांक 16.06.2013 में स्पष्ट किया है कि "संबंधित खातेदारों की आपसी सहमति से उनके खेतों तक पहुॅच के लिए रास्ता गुजरता है या नया रास्ता प्रस्तावित है तो रास्ते में आने वाली भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत समर्पण किया जाकर रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाता है। यदि ऐसे प्रस्तावित रास्ते के बीच में यदि कोई राजकीय भूमि पडती है तो उसका भी समाधान किया जा चुका है एवं यदि खातेदार आपस में सहमत नहीं है तो वह खातेदार जिसको जोत तक पहुॅचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना है या पुराने रास्ते को चौडा करना है तो उसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क में दिया गया है। लेकिन उक्त प्रावधान केवल खातेदारी भूमि पर से रास्ते के संबंध में ही है, लेकिन ऐसे प्रकरण जिसमें खातेदार को अपनी जोत तक पहुॅचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। खातेदार राजकीय भूमि में से होकर अपनी जोत तक पहुॅच सकता है। खातेदार द्वारा अपनी जोत तक आने जाने के लिये रास्ता चाहा जा रहा है।

उक्त समस्या के सामाधान के लिये यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुॅचने के लिये राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसी सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जॉच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुॅचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप–नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। यह नया मार्ग लघुत्तम या निकटतम रूट से होगा तथा 30 फुट से अधिक चौडा नहीं होगा। रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलिखित की जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा।"

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

इस प्रकार तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट एवं उपरोक्त परिपत्रों की रोशनी में हम इस निष्कर्ष पहुंचते है कि खसरा नंबर 337 मदनपुरी से भजीट जाने वाले मुख्य सडक की तरफ दक्षिण में स्थित है नंबर 337 के तरफ उत्तर सडक सरकारी को छोड कर अन्य तीन तरफ पक्की चार दिवारी लगभग फीट उंची बनी हुई है वादीगण उक्त खसरा नंबर 337 के तरफ पूर्व में से लगभग 12 फीट चौडा चाहता है मौके पर आराजी ख० न० 335/0.33 है०, 336/0.22, 322/0.02, 323/0.80 है० में दिशा को छोडकर बाकी दिशाओं से वादीगण को अपने खसरा नंबरान पर आवागमन में कोई अवरोध नहीं है खेत के तरफ दक्षिण में स्थित रास्ते से होकर प्रार्थी वर्तमान में आवागमन कर रहा है अर्थात दिशाओ से वादीगण को आराजी पर पहुच सुलभ है।

इस प्रकार प्रार्थी को धारा 251–क राज0 काश्त0 अधि0 के अन्तर्गत ओर किसी प्रकार का ष दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है अतः प्रा0 पत्र पोषनीय नहीं होने के कारण खारिज योग्य है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राज0 काश्त0 अधि0 1955 पोषनीय नही के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

माधव भारद्वाज (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक 27 – 10 –25 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

माधव भारद्वाज (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर